हर घर जल
जल जीवन मिशन

जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी - पानी समिति/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

पानी समिति

पानी समिति का गठन करना और ग्राम स्तर पर पानी और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम सभा के दौरान पानी समिति का गठन किया जाता है जिसमें सभी वयस्क सदस्य उपस्थित होते हैं, और सदस्यों का चयन आम सहमति से खुली सार्वजनिक बैठक में किया जाता है।

पानी समिति में 10–15 सदस्य होते हैं जिनमें 25 प्रतिशत निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, 50 प्रतिशत गाँव की महिलाएँ और शेष 25 प्रतिशत प्रतिनिधि गाँव के कमजोर वर्ग के होते हैं, जिसमें उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल होते हैं। वरिष्ठ समुदाय के नेताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को पानी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक जाति, समुदाय और धर्म को पानी समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

पानी समिति का कार्यकाल 2–3 वर्ष का होता है। जब पानी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो राज्य सरकार को बिना किसी बाधा के सेवाओं को जारी रखने के लिए पुनः एक पानी समिति का गठन है।

पानी समिति के कार्य

- जलापूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करना सुनिश्चित करेंगें
- गांव में जलापूर्ति योजना की योजना बनाना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव
- प्रत्येक मौजूदा ग्रामीण परिवार, भविष्य में उभरने वाले किसी भी नए घर को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि मुख्य बस्ती से दूर स्थित बिखरे हुए घर कार्यक्रम के तहत छूटे नहीं हैं।
- राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा अंतिम रूप दी गई लागत पर एजेंसियों से सेवाओं, वस्तुओं, सामग्रियों की खरीद की सुविधा प्रदान करना
- समय–समय पर सामुदायिक अंशदान जमा करने और कर्मियों के संचालन और रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए धन का उपयोग करने के लिए बैंक खाता खोलें। यदि किसी मौजूदा बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योगदान और प्रोत्साहन निधि के लिए एक अलग खाता बही रखा जाए

हर घर जल
जल जीवन मिशन

- गांव के बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 5–10 प्रतिशत योगदान करने के लिए समुदाय को जागरूक करना और प्रेरित करना। योगदान नकद, या वस्तु या श्रम के रूप में हो सकता है
- खाते के लिए रजिस्टर बनाएं और संधारण करें जो समुदाय के योगदान को विस्तार से दर्शाता है
- ग्राम पंचायत के ग्राम संपत्ति रजिस्टर में पेयजल संपत्ति का विवरण दर्ज करें
- जल स्रोत स्थिरता, भूरे / गंदा पानी का पुनः उपयोग और जल संरक्षण उपायों सहित गांव के बुनियादी ढांचे के निर्माण का पर्यवेक्षण करना
- तृतीय पक्ष निरीक्षण और कार्यात्मकता मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना
- पीआरए गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित करना, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाना, पानी का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के साथ आना और जनता के लिए आम स्थानों पर संदेशों सहित नियमित आईईसी अभियान सुनिश्चित करना
- नियमित मरम्मत और रखरखाव में भाग लेने के लिए पंप ऑपरेटर, क्षेत्रीय तकनीशियन को नियुक्त करना

पानी समिति के अध्यक्ष अपने सदस्यों की मदद से समय–समय पर बैठकें बुलाएंगे। जल जीवन मिशन दिशा निर्देश अनुसार जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा करने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मासिक बैठकों का प्रावधान किया है। बैठक के लिए पानी समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना अनिवार्य है। बैठक की सूचना पहले से देनी होगी ताकि लोग इसमें भाग ले सकें।

निगरानी समिति

जलापूर्ति योजना के कामकाज की निगरानी के लिए गांव में ग्राम पंचायत द्वारा 5 सदस्यीय महिला उपसमिति का गठन किया जायेगा। समिति गांव में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।

समुदाय नियमित स्वच्छता निगरानी करेगा और सामूहिक रूप से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र पर निर्णय करेगा।

आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए समिति समय–समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच भी करेगी। ये परीक्षण जल स्रोत और वितरण बिंदुओं पर फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके किए जाते हैं।

यह आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास बनाने और जल प्रदूषण से संबंधित किसी भी मुद्दे को समय पर निराकरण करने का एक साधन है।

ACE
Action for Community Empowerment (ACE)
Email: aceindia.org@gmail.com, Web: www.acengo.org